न्यायालयः श्री बृजेश मणि त्रिपाठी, अनन्य विशेष न्यायाधीश, उत्पाद, शिवहर।
उत्पाद केस संख्या–63/2016
वाद संख्या–C2–63/2016
सरकार बनाम् हाफिज मियॉ

FORM-A

IN THE COURT OF EXCLUSIVE SPECIAL JUDGE, EXCISE, SHEOHAR
Present:- Sri Brijesh Mani Tripathi, Exclusive Special Judge, Excise,
(Date of Judgment:- 12.03.2026)
Excise No-63/2016, Registration No.BRSO010002102016
Case No. C2-63/2016,
Offence:- U/s-47(a) Bihar Prohibition and Excise Act.
District-SHEOHAR.

COMPLAINANT	राम विनय सिंह, अ0नि0, उत्पाद, शिवहर।
ACCUSED	01. हाफिज मियॉ, पिता–स्व0 समतली मियॉ, सा0–मीनापुर बलहा, थाना–पिपराही, जिला–शिवहर
REPRESENTED BY COMPLAINANT	श्री दिलीप कुमार, विद्वान अपर विशेष लोक अभियोजक, उत्पाद।
REPRESENTED BY ACCUSED PERSON	श्री रजनी कुमार वर्मा, विद्वान अधिवक्ता।

FORM-B

Date of Offence	23-07-2016
Date of F. I. R.	23-07-2016
Date of Charge sheet	29-08-2016
Date of Cognizance	08-09-2017
Date of Framing Charges	10-01-2018
Date of Commencement of Evidence	19-10-2022
Date of which judgment is reserved	23-02-2026
Date of judgment	12-03-2026
Date of the Sentencing order, if any	

Accused Details

Rank of the Accused	Name of Accused	Date of Arrest	Date of Release on Bail	Offence Charged with	Whether Acquitted or convicted	Sentence imposed	Period of Detention during Trial for purpose of section 428 of Cr.P.C.
01.	हाफिज मियॉ	24-07-2016	29-07-2016	47 (a) Bihar Prohibition and Excise Act.	Acquitted		

FORM-C

LIST OF PROSECUTION/DEFENCE/COURT WITNESS

A. Prosecution :

RANK	NAME	NATURE OF EVIDENCE (EYE WITNESS, POLICE WITNESS, EXPERT WITNESS, MEDICAL WITNESS, PANCH WITNESS, OTHER WITNESS)
01.	भरत ठाकुर	अ0सा0सं0–01,

B. Defence Witness, if any ; –

RANK	NAME	NATURE OF EVIDENCE (EYE WITNESS, POLICE WITNESS, EXPERT WITNESS, MEDICAL WITNESS, PANCH WITNESS, OTHER WITNESS)
–	–	–

C. Court Witness, if any ;-NIL

RANK	NAME	NATURE OF EVIDENCE (EYE WITNESS, POLICE WITNESS,

न्यायालयः श्री बृजेश मणि त्रिपाठी, अनन्य विशेष न्यायाधीश, उत्पाद, शिवहर।
उत्पाद केस संख्या–63/2016
वाद संख्या–C2–63/2016
सरकार बनाम् हाफिज मियॉ

		EXPERT WITNESS, MEDICAL WITNESS, PANCH WITNESS, OTHER WITNESS)
–	–	–

LIST OF PROSECUTION/DEFENCE/COURTS EXHIBITS

A. PROSECUTION;-

SR. NO.	EXHIBIT NUMBER	DESCRIPTION
1.	प्रदर्श–1	जप्ती सूची पर अ0सा0सं0–1 का हस्ताक्षर

B. DEFENCE ;

SR. NO.	EXHIBIT NUMBER	DESCRIPTION
–	–	–

C. COURT EXHIBITS ; NIL

SR. NO.	EXHIBIT NUMBER	DESCRIPTION
–	–	–

D. MATERIAL OBJECTS ;

SR. NO.	MATERIAL OBJECT NUMBER	DESCRIPTION
–	–	–

निर्णय

12/03/26

01. उपरोक्त नामित अभियुक्त हाफिज मियॉ के विरूद्व दिनांक–10.01.2018 के अंतर्गत धारा–47 (ए) बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद अधिनियम के तहत आरोप का गठन किया गया है एवं अभियुक्त का उपरोक्त धाराओं के अन्तर्गत विचारण किया गया।

02. अभियोजन का मामला संक्षेप में यह है कि सूचक गुप्त सूचना के आधार पर अपने सहयोगी अधीनस्थ उत्पाद कर्मियों एवं सशस्त्र बल के सहयोग से मीनापुर बलहा सड़क के किनारे छापामारी किया। छापामारी के क्रम में उपस्थित गवाहों के समक्ष विधिवत तलाशी लेने के क्रम में प्लास्टिक के एक बोतल में अवैध ताड़ी का लगभग दो लीटर अभियुक्त के कब्जे से बरामद हुआ। प्रदर्श को जप्त कर अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया। इसी आधार पर कांड संस्थित किया गया।

03. उपरोक्त नामित अभियुक्त शंभु सहनी के विरूद्व अभियोजन प्रतिवेदन प्राप्त होने के बाद दिनांक–08.09.2017 को अंतर्गत धारा–47(ए) बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद अधिनियम के तहत अपराध का संज्ञान लिया गया एवं अभियुक्त को अभियोजन प्रतिवेदन प्राप्त कराने के पश्चात् दिनांक– 10.01.2018 को अंतर्गत धारा–47(ए) बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद अधिनियम के तहत आरोप का गठन किया गया।

न्यायालयः श्री बृजेश मणि त्रिपाठी, अनन्य विशेष न्यायाधीश, उत्पाद, शिवहर।
उत्पाद केस संख्या–63/2016
वाद संख्या–C2–63/2016
सरकार बनाम् हाफिज मियॉ

04. साक्ष्योंपरांत अभियुक्त का बयान दिनांक–21.11.2025 को धारा–313 दं0प्र0सं0 के अंतर्गत अभियुक्त को हिन्दी में अभिलिखित किया गया जिसमें अभियुक्त ने स्वयं को निर्दोष बताया तथा अभियोजन के सभी कथनों का खंडन किया।

05. अब न्यायालय के समक्ष मुख्य विचारणीय बिन्दु यह है कि उपरोक्त नामित अभियुक्त के विरूद्व लगाये गये आरोप को अभियोजन पक्ष युक्तियुक्त संभी संदेहों से परे साबित करने में सफल रहा है अथवा नहीं ?

मंतव्य

06. अभियोजन की ओर से अपने मामले के समर्थन में अभियोजन प्रतिवेदन के साक्षी कॉलम में वर्णित कुल आठ वर्णित साक्षियों में से एक साक्षी का साक्ष्य कराया गया है, जिसमें अभियोजन साक्षी संख्या–01. भरत ठाकुर हैं।

07. दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में अभियोजन पक्ष की ओर से निम्नलिखित प्रदर्श अंकित कराये गये हैं, जो निम्नवत हैः–

A. PROSECUTION;-

SR. NO.	EXHIBIT NUMBER	DESCRIPTION
1.	प्रदर्श–1	जप्ती सूची पर अ0सा0सं0–1 का हस्ताक्षर

12/03/26

बचाव पक्ष की ओर से कोई भी मौखिक या दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है।

08. **अभियोजन साक्षी संख्या–01. भरत ठाकुर** ने अपने मुख्य परीक्षण में सशपथ कथन किया है कि हाफिज मियॉ को मैं पहचानता हूँ। जप्ती सूची पर मेरा हस्ताक्षर है। जिसे मैं पहचानता हूँ। जिस पर मैंने अपना नाम लिखा है, जिसे प्रदर्श–पी1 अंकित किया जाता है। घटना के बारे में कुछ नहीं जानते है। जप्ती सूची पर हमसे हस्ताक्षर करवा लिया गया। इसकी सूचना मैनें किसी वरिये पदाधिकारी को नहीं दिया।

अभियोजन के द्वारा यह साक्षी पक्षद्रोही घोषित किया जाता है। अभियोजन के द्वारा प्रतिपरीक्षण में इस साक्षी ने कथन किया है कि ऐसी बात नहीं है कि दिनांक–23.07.2016 को हाफिज मियॉ के पास से एक बोतल में दो लीटर अवैध ताड़ी पकड़ाया था, जिसकी जप्ती सूची मेरे सामने बनाया गया, जिस पर मैंने अपना हस्ताक्षर स्वेच्छा से बनाया। अभियुक्त मेरे ग्रामीण है, इसलिए उसके मेल में आकर झूठी गवाही दिये है, और सच्ची बातों को छुपाया है।

न्यायालयः श्री बृजेश मणि त्रिपाठी, अनन्य विशेष न्यायाधीश, उत्पाद, शिवहर।
उत्पाद केस संख्या–63/2016
वाद संख्या–C2–63/2016
सरकार बनाम् हाफिज मियॉ

प्रतिपरीक्षण के क्रम में इस साक्षी ने कथन किया है कि हमारे सामने में हाफिज मियॉ के यहॉ से काई भी सामग्री बरामद नहीं हुा था और ना ही कोई जप्ती सूची बनी थी। पिपराही पुलिस हमारे दुकान पर आकर हमसे हस्ताक्षर करवाये थे। जिस कागज पर मैनें हस्ताक्षर किया था, वह सादा कागज था। हाफिज मियॉ मेरे ग्रामीण है, इसलिए मैं उन्हें जानते और पहचानते है।

09. प्रस्तुत वाद में बहस के दौरान बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता के द्वारा तर्क दिया गया है कि प्रस्तुत वाद में अभियोजन के द्वारा मात्र एक साक्षी को प्रस्तुत किया गया। सूचक एवं जप्ती सूची के साक्षियों में से मात्र एक साक्षी को प्रस्तुत किया गया है एवं अन्य साक्षियों को प्रस्तुत नहीं किया गया है एवं उसका कोई कारण भी दर्शित नहीं किया गया। जप्त बरामद सामान का कोई जॉच प्रतिवेदन भी समर्पित नहीं किया गया। किस पदाधिकारी द्वारा जप्त अभिकथित जप्त ताड़ी की जप्ती सूची तैयार की गई, स्पष्ट नहीं है। इस प्रकार अभियोजन पक्ष अभियुक्त के विरूद्व लगाये गये आरोपों को साबित करने में पूर्णतः असफल रहा है। अतः अभियुक्त को संदेह का लाभ देते हुए उसे प्रस्तुत वाद से दोषमुक्त किये जाने का निवेदन है।

10. दूसरी तरफ अभियोजन की ओर से विद्वान अपर विशेष लोक अभियोजक के द्वारा कथन किया गया कि विचारण अभियुक्त के पास से अवैध ताड़ी की बरामदगी हुई है, जिसका अभियोजन साक्षी ने अपने साक्ष्य में समर्थन किया है तथा अभियोजन पक्ष अभियुक्त के विरूद्व लगाए गए आरोपों को साबित करने में सफल रहा है।

11. उभय पक्षों के बहस को सुना, अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्षियों के साक्ष्य एवं उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया। जिससे विदित होता है कि अभियोजन द्वारा अपने वाद के समर्थन में मात्र एक साक्षी अभियोजन साक्षी संख्या–1 भरत ठाकुर को प्रस्तुत किया गया। अभियोजन साक्षी संख्या–1 भरत ठाकुर जो कि जप्ती सूची के एक स्वतंत्र साक्षी है, एवं इनका जप्ती सूची पर हस्ताक्षर है। जिसकी पहचान इनके द्वारा की गई है। यह साक्षी अभियोजन के द्वारा पक्षद्रोही घोषित किया गया है। प्रस्तुत मामले में सूचक, आरोप पत्र के अन्य साक्षियों को अभियोजन की ओर से परीक्षित नहीं कराया गया है। अभियोग पत्र भी प्रदर्श अंकित नहीं है। सूचक के अनुपस्थिति के कारण अभियोग पत्र में वर्णित तथ्य प्रमाणित नहीं होते है। जप्त वस्तु का कोई जॉच प्रतिवेदन न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया है। जिससे यह तथ्य स्पष्ट नहीं है कि ज़प्त वस्तु की प्रकृति क्या थी एवं वह मादक द्रव्य की श्रेणी में आता था कि नहीं। विचारण के क्रम में जप्त वस्तु को न्यायालय के समक्ष भी प्रस्तुत नहीं किया गया था न हीं कोई विनिष्टीकरण रिपोर्ट न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

12/03/16

विशेष न्यायाधीश (उत्पाद) शिवहर

न्यायालयः श्री बृजेश मणि त्रिपाठी, अनन्य विशेष न्यायाधीश, उत्पाद, शिवहर।
उत्पाद केस संख्या–63/2016
वाद संख्या–C2–63/2016
सरकार बनाम् हाफिज मियॉ

12. प्रस्तुत मामले में अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य पूर्ण रूप से अपर्याप्त श्रेणी का है। प्रस्तुत किये गये, साक्ष्य विश्वसनीय, निश्चायक, सुसंगत प्रतित नहीं होते है एवं इन साक्ष्यों के अधार पर अभियुक्त के विरूद्व लगाये गये आरोप प्रमाणित एवं साबित नहीं होते है। अतः उपरोक्त विवेचना के पश्चात् न्यायालय का मत है कि अभियोजन पक्ष अभियुक्त के विरूद्व लगाये गये आरोप को साबित करने में पूर्णरूप से असफल रहा है। तद्नुसार आदेश पारित किया जाता है।

आदेश

13. उपरोक्त नामित अभियुक्त–हॉफिज मियॉ को न्यायालय के द्वारा धारा–47(ए) बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद अधिनियम के अंतर्गत पर्याप्त अभियोजन साक्ष्य के अभाव में संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त किया जाता है एवं उन्हें उनके बंध–पत्र के दायित्व से उन्मोचित किया जाता है।

14. निर्णय मेरे द्वारा लेखापित, संशोधित वो हस्ताक्षरित होने के बाद आज दिनांक 12.03.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

लेखापित एवं शुद्विकृत

(बृजेश मणि त्रिपाठी)
अनन्य विशेष न्यायाधीश, उत्पाद, शिवहर।
दिनांक–12.03.2026

(बृजेश मणि त्रिपाठी)
अनन्य विशेष न्यायाधीश, उत्पाद, शिवहर।
दिनांक–12.03.2026.